[14/3/2022]
परिशिष्ट–अ

प्रश्न सं. [क्र. 1626]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमाकं–1626

द्वारा–मान0विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया

विधानसभा बजट सत्र 2022 अतारांकित प्रश्न कमांक 1626 द्वारा माननीय विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया के प्रश्नांश–'ख' की जानकारी

स0क0	पद नाम	नाम	ईनाम की संख्या
01	उप निरीक्षक	श्री रोहित दुबे	281
02	उप निरीक्षक	श्री राम शर्मा	240
03	उप निरीक्षक	श्री विजय सिंह सिसौदिया	226
04	उप निरीक्षक	श्री लोकेन्द्र सिंह हिहोर	221
05	उप निरीक्षक	श्री गोपाल सिंह गौहर	220
06	उप निरीक्षक	श्री कुलदीप सिंह राजपूत	218
07	उप निरीक्षक	श्री छक्कनराम	200
08	उप निरीक्षक	श्री राजाराम मालवीय	200
09	उप निरीक्षक	श्री तरूण करील	179
10	उप निरीक्षक	श्री कन्हैया बघेल	162

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(वी–4)
मंत्रालय, भोपाल

म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966

चौथा भाग–निलम्बन

9. **निलम्बन.**—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसके कि अधीनस्थ वह हो या अनुशासिक प्राधिकारी या उस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को.—

(क) जहां उसके विरूद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासिक कार्यवाही लम्बित हो, या

(ख) जहां उसके विरूद्ध किसी भी दाण्डिक अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन हो,

निलम्बित कर सकेगा :

/*परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात् उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो,*

/परन्तु *यह और भी कि* जहां निलम्बन का आदेश किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो जो नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नस्तर श्रेणी का हो तो ऐसा प्राधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिनमें कि आदेश दिया गया था, रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा.

(2) कोई शासकीय सेवक नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा—

(क) उसके निरूद्व किये जाने के दिनांक से यदि उसे, या तो किसी दाण्डिक आरोप पर या अन्यथा, अडतालीस घण्टे से अधिक की कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्व किया गया हो;

(ख) उसे दोषसिद्ध ठहराये जाने के दिनांक से, यदि वह, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराये जाने की दशा में, अडतालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो, और ऐसी दोषसिद्वि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत न कर दिया गया हो या सेवा से हटा न दिया गया हो या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त न कर दिया गया हो,

निलम्बित कर दिया गया समझा जायेगा.

व्याख्या.—इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट की गयी अडतालीस घण्टे की कालावधि की संगणना दोषसिद्वि के पश्चात्, कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कारावास की विच्छिन्न कालावधियां, यदि कोई हों, संगणित की जायेगी.

/प्रथम परन्तुक सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र सी–6–2–96–3–एक, दि. 17.04.1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, तथा द्वितीय परन्तुक में शब्द "यह और भी कि" जोडा गया। प्रथम परन्तुक निम्नानुसार था–

"परन्तु शासकीय सेवक को सदैव निलम्बित किया जाएगा जबकि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन में अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया हो."

तदुपरांत अधिसूचना क्र सी–6–1–2007–3–एक, दिनांक 26.02.2007 द्वारा प्रथम परन्तुक में पुनः संशोधन कर उपरोक्तानुसार शब्द "सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के पश्चात्" जोडते हुऐ प्रतिस्थापित किया गया, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26.02.2007 में प्रकाशित है.

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्योंकि जिला दंडाधिकारी का जिले की पुलिस पर सामान्य नियंत्रण होता है। (ए.आई.आर. 1970 सु.को. 122)।

5. महानिरीक्षक की शक्तियाँ तथा शक्तियों का प्रयोग -- साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होगी किन्तु वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा।

टिप्पणी

इस धारा के अन्तर्गत आरक्षी महानिरीक्षक मजिस्ट्रेट है। (ए.आई.आर. 1957 त्रिपुरा 187)।

महानिरीक्षक द्वारा उप महानिरीक्षक के विरुद्ध आरोपों की जांच कर सेवा मुक्त करना इस प्रावधान के अन्तर्गत विधि विरुद्ध नहीं है। (ए.आई.आर. 1957 त्रिपुरा 18) महानिरीक्षक को दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं यदि किसी प्रयोजन के लिए महानिरीक्षक को असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो भारतीय दंड विधान की धारा 211 के अधीन की गई कार्यवाही उचित होगी।

6. पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ -- *[दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (1882 का 10) की धारा 2 और अनुसूची 1(ख) द्वारा निरसित।]*

7. अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति -- संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएँ, अधीन रहते हुए, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षकगण, सहायक महानिरीक्षकगण और जिला अधीक्षकगण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत कर सकेंगे जिससे वे अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पाएँ या और उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएँ या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्त्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वाह करता है या जो स्वकार्येण अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा, अर्थात् --

(क) एक मास के वेतन से अधिक राशि तक जुर्माना;

(ख) दंड स्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य के सहित या रहित पन्द्रह दिनों से अनधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध;

(ग) सदाचरण वेतन से वंचित करना;

(घ) विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना।

टिप्पणी

(1) सामान्य,
(2) परिवीक्षाधीन कर्मचारी और उनकी सेवाओं की समाप्ति,
(3) त्यागपत्र,
(4) अनिवार्य पद-मुक्ति,
(5) कर्मचारियों की दंड व्यवस्था पर प्रतिबंध,
(6) विभागीय जांच,
(7) अवैध पदमुक्ति के संबंध में वेतन,
(8) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार किसको है,
(9) पदच्युति का आदेश पूर्वगामी नहीं हो सकता है,
(10) भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध और विभागीय जांच,
(11) इस धारा के अधीन दिए गए दण्ड,
(12) आपत्तिजनक दंडनीय व्यवहार,
(13) थानेदार के विरुद्ध अभियोग चलाना,
(14) सेवा नियमों में परिवर्तन,
(15) सिविल सर्विस रूल्स लागू नहीं होते,
(16) पदोन्नति।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक)
कार्यालय, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग